कार्यालय जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, भरतपुर

क्रमांक / लेखा / आपदा. / सहायता / भरतपुर / 2021–22 / 1081 दिनांक :– 12.1.2022

प्रशासनिक स्वीकृति आदेश

मानसून वर्ष 2021 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों की तात्कालिक अस्थायी मरम्मत एवं पुर्नस्थापना हेतु कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा , भरतपुर के पत्रांक 277 / 06.12.2021 के द्वारा प्राप्त प्रस्तावों के क्रम में श्रीमान संयुक्त शासन सचिव आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर के पत्रांक 438–43 दिनांक 10.01.2022 के द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या–123 / 2021–22 के द्वारा निम्नानुसार कार्य स्वीकृत किये गये है। स्वीकृत कार्यों की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से निम्नानुसार कराये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त प्रशासनिक स्वीकृति, श्रीमान संयुक्त शासन सचिव आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर के पत्रांक 14443–50 दिनांक 11.11.2021 में वर्णित शर्तों एवं दिशा निदेशों के अध्याधीन रहेगी। स्वीकृति का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.स.	खण्ड कार्यालय का नाम	तहसील का नाम	स्वीकृत कार्यों की संख्या	एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार देय राशि	प्रशासनिक स्वीकृति (राशि लाखों में)
1	जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा, भरतपुर	सेवर	35	52.50	52.50
		पहाडी	35	52.50	52.50
2		कामां	35	52.50	52.50
		रूपवास	35	52.50	52.50
3		नगर	35	52.50	52.50
		कुम्हेर	35	52.50	52.50
		नदबई	35	52.50	52.50
4		वैर	35	52.50	52.50
		डीग	35	52.50	52.50
योग			**315**	**472.50**	**472.50**

नोट: तहसील बयाना के 35 कार्यों हेतु राशि 52.50 लाख का सिंचाई विभाग से प्राप्त वर्षा का मिलान नहीं होने के कारण स्वीकृत नहीं किये गये है।

उपरोक्तानुसार रूपये 10 लाख तक के कार्य जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन से निर्धारित दर पर कराये जायेंगे। स्वीकृत राशि का व्यय सामान्य वित्त एवं लेखा नियमों सीआरएफ, एनसीसीएफ तथा कार्यकारी विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार किया जावेगा। उपर्यक्त स्वीकृत कार्यों के लिए प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों में कार्य कारी विभाग द्वारा प्रस्तावित किसी भी प्रकार के प्रशासनिक एवं कन्टीजेन्सी चार्ज देय नहीं होगा। उक्त कार्य नियमानुसार टेन्डर प्रक्रियादि पूर्ण कर सम्पादित किये जायेंगे ।

प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है। कार्य पूर्ण होने के पश्चात उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट प्राप्त की जावेगी कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया है तत्पश्चात भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार इस कार्यालय द्वारा की जावेगी। कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी की वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करेगें अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी । स्वीकृत कार्य कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से तीस दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करेंगें। स्वीकृत कार्यों में लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा निर्देश, तत्सबंधी नियम/निर्देश एवं निर्धारित प्रकिया की पालना तथा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना सुनिश्चित की जावेगी। उक्त समस्त कार्यों की जारी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में संबंधी विभाग/कार्यकारी संस्था तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी के स्तर से जारी कर इस कार्यालय का प्रस्तुत करें। आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग से बजट आंक्टन प्राप्त होते ही अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा वित्तीय स्वीकृती जारी की जावेगी एवं वित्तीय स्वीकृती जारी होने के उपरान्त ही मरम्मत कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। यदि बजट आवंटन से पूर्व कोई कार्य प्रारम्भ कर लिया जाता है तो इस विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2021–22 में बजट मद 2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 02–बाढ, चकवात आदि, 106– खराब सडकों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना, 08–बाढ क्षेत्र में खराब सडकों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना, 01– सडकों की मरम्मत एवं पुनः स्थापना , 21– अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेन्स) प्रतिबद्ध से किया जावेगा। (केन्द्रीय सहायता 75 प्रतिशत, 25 प्रतिशत राज्य निधि)

कार्यकारी एजेन्सीः– उक्त स्वीकृत कार्यों हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, भरतपुर कार्यकारी एजेन्सी होगी। जो ग्राम पंचायतों के माध्यम से स्वीकृत कार्यों को कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा, भरतपुर से सामंजस्य कर पूर्ण कराने की जिम्मेदार होगी तथा समस्त कार्य 30 दिवस की अवधि में पूर्ण कराकर उपखण्ड स्तरीय समिति से प्रमाणित कर बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। तथा समय पर कार्य पूर्ण नही होने तथा बिल प्रस्तुत नहीं करने पर इस कार्यालय द्वारा भुगतान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

सलग्नः– 1.स्वीकृत कार्यों की सूची।
2.आपदा प्रबन्धन विभाग राजस्थान जयपुर की स्वीकृति क्रमांक 123/2021–22 दिनांक 10.01.2022
3.आपदा प्रबन्धन विभाग राजस्थान जयपुर के दिशानिर्देश क्रमांक 9851–52 दिनांक 27.07.2021

जिला कलक्टर एंव अध्यक्ष,
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
भरतपुर 12.1.2022

क्रमांक/लेखा/आपदा./सहायता /भरतपुर/2021–22/ 1088-94

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज0 जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, भरतपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग जयपुर।
4. जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा, भरतपुरं को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार स्वीकृत कार्य जिला परिषद भरतपुर के द्वारा ग्राम पंचायतों के माध्यम से पूर्ण करवाये जाना सुनिश्चित करें।
5. उपखण्डाधिकारी.....।
6. कोषाधिकारी भरतपुर।
7. प्रभारी अधिकारी सहायता अनुभाग, कलैक्ट्रेट, भरतपुर

जिला कलक्टर एंव अध्यक्ष,
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
भरतपुर

11/1/22
Coll

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांकःएफ.6(16)आ.प्र. एवं सहा./प्रस्ताव/बाढ़/21/438-43 जयपुर, दिनांक 10/01/2022

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या– 123/2021–22

मानसून वर्ष 2021 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु जिला कलक्टर, भरतपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 1387 दिनांक 02.09.2021 के आधार पर अति0 जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा, भरतपुर तह. सैयर, पहाड़ी, कामॉ, रूपवास, नगर, कुम्हेर, नदबई, वैर एवं डीग के प्रत्येक तहसील के 35–35 कार्य हेतु प्रति तहसील हेतु राशि रूपये 52.50 लाख, कुल 315 कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रूपये 472.50 लाख (अक्षरे रूपये चार करोड़ बहत्तर लाख पचास हजार मात्र) राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से बजट आवंटन की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैः–

(i) विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः संबंधित विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग भवनों के Restoration पर न करें।

(ii) प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है।

(iii) जिला कलेक्टर विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों के लिए बजट की मांग एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स अनुसार निर्धारित दर से गणना किये जाने के उपरान्त ऑनलाईन विभाग से करें।

(iv) बजट सम्बन्धित कार्यकारी संस्था को न दिया जाकर जिला कलेक्टर स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(v) ये कार्य जो Defect LiabilityPeriod के तहत आती है, उनकी मरम्मत SDRF से देय नहीं है।

(vi) जिला कलेक्टर बजट की ऑन लाईन मांग किये जाने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवें कि बजट की मांग SDRF नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair &Periodical Repair (15/20 प्रतिशत) के तहत अनुमत राशि से गणना करने के उपरान्त ही कुल राशि की मांग की जा रही है। राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों के Restoration हेतु विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश क्रमांक 9851–52 दिनांक 27.07.2021 द्वारा गणना की जाये।

(vii) कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।

(viii) जिला कलेक्टर स्वीकृत कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करायें तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तत्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।

(ix) जिला कलेक्टर उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेवें कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया है।

(x) प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाये जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधी से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

(xi) इस विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।

इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2021–22 में निम्नलिखित बजट मद से किया जायेगाः–

2245– प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

02– बाढ़, चक्रवात आदि।

107– खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना

(02)–(बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत)

[01]–[बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत]

21–अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेंस) (केन्द्रीय सहायता 75 प्रति. राशि रू. 354.37 लाख)
(राज्य निधि 25 प्रतिशत राशि रू. 118.13 लाख)

(xii) स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजनाके दिशा–निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।

(xiii) निजी निक्षेप खाते से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये ही जावे। बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का निजी निक्षेप खाते से आहरण नहीं किया जावेगा।

(xiv) व्यय की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित अवधि में महालेखाकार कार्यालय/इस विभाग को प्रस्तुत किया जावें।

(xv) निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जावें। अनुपयोगी राशि यदि कोई हो तो दिनांक 31.03.2022 तक राजकोष में जमा करवाई जावें।

(xvi) व्यय के लेखे महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये सदैव खुले रहेंगे।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय राज्य मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर।
2. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. जिला कलक्टर भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार आवश्यक बजट की गणना कर बजट की मांग विभाग से ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप में करें तथा आपके द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक रूप से ऑनलाईन मांग के साथ अपलोड करावें।

   तह. बयाना के 35 कार्य हेतु राशि रू. 52.50 लाख का सिंचाई विभाग से प्राप्त वर्षा का मिलान नही होने के कारण स्वीकृत नहीं किये गये है।

   आपके पत्र क्रमांक 1004 दिनांक 25.11.2021 द्वारा प्रेषित सा.नि.वि. खण्ड बयाना उपखण्ड बयाना के 64 सड़क कार्य राशि रूपये 102.79 लाख के प्रस्तावों में सिंचाई विभाग से प्राप्त वर्षा का मिलान नही होने के कारण स्वीकृत नही किये गये है।
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
6. कोष कार्यालय, भरतपुर।

वित्तीय सलाहकार